न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2021	07.01.2021	30.03.2021

अनवान

1. देउबाई पत्नी मोहन जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. संगीता पत्नी सम्पत जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. गहरी लाल पुत्र खुमा जाति जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. हजारी लाल पुत्र गोकल जाति जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनी पत्नी उदयराम जाट आयु वयस्क निवासी देवजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. सुरेश चन्द्र पिता ताराचन्द जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
3. जमना लाल पुत्र हांसु जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
4. धापु पत्नी मांगु जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
5. प्यारी पत्नी हांसु जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
6. बबलु पुत्र हांसु जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
7. ताराचन्द पुत्र महादेव जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
8. सुन्दर पत्नी ताराचन्द जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
9. भैरी पुत्री औंकार जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
10. शंकर लाल पुत्र औंकार जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
11. अमरचन्द पिता सौराम जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
12. कन्हैया लाल पुत्र भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:48:01 IST
Reason: SelfAttested

13. गणपत पुत्र भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
14. डालु पुत्र सौराम जाट आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
15. नरेश पुत्र भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
16. नोजी पत्नी भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
17. मदन लाल पुत्र भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
18. रमन पुत्र भैरू लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
19. लेहरू पुत्र छोगा लाल जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
20. शंकर लाल पुत्र लेहरू सालवी आयु वयस्क निवासी जितिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जीतीया पटवार हल्का जीतीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 251 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 516, 543, 544 व खाता संख्या 252 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 517 व खाता संख्या 253 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 511 व खाता संख्या 250 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 542 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात [illegible] के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई [illegible] सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः [illegible] आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर [illegible] सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:48:01 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 से 6, 8 से 13 व 15 से 20 बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं। हाजिर नहीं

आने से अप्रार्थी संख्या 2 से 6, 8 से 13 व 15 से 20 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। व अप्रार्थी संख्या 1, 7, 14 के खिलाफ कार्यवाही नहीं चाहने का प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुनी गई व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व 1, 7, 14 के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस एक तरफा प्रार्थना पत्र को सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा जीतीया पटवार हल्का जीतीया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 251 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 516, 543, 544 व खाता संख्या 252 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 517 व खाता संख्या 253 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 511 व खाता संख्या 250 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 542 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.04.16 17:48:01 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official